

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की मासिक पत्रिका 'विधान प्रबोधनी' के मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

(NIT NO. 06/2026, दिनांक- 25.08.2026)

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित लगभग 60 पृष्ठों की एक मासिक पत्रिका 'विधान प्रबोधनी' जिसकी न्यूनतम 1000 (एक हजार) प्रतियाँ स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित एवं बाइंडिंग कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक मुद्रकों / प्रिंटिंग फर्मों से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा एक अन्य सीलबंद लिफाफा में दिनांक-08/09/2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-08/09/2026 को 4:00 बजे अपराह्न में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे। पत्रिका का नमूना (साइज़, कागज की गुणवत्ता, मुद्रण आदि) का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकती है।

तकनीकी निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें

1. पंजीयन एवं प्रमाणीकरण से संबंधित शर्तें:-

- I. निविदादाता का प्रेस/ फर्म जी.एस.टी. के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए। इससे संबंधित निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
- II. निविदादाता के प्रेस/ फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- III. विगत तीन वर्षों (वर्ष 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026) का आयकर रिटर्न तथा पैन कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है।
- IV. निविदादाता के प्रेस/ फर्म का EPS अथवा ESIC पंजीकरण कम से कम 3 वर्षों से होना चाहिए।

2. टर्नओवर एवं पूर्व अनुभव से संबंधित शर्तें:-

- I. पत्रिका/पुस्तक मुद्रण कार्य का पिछले आठ वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
- II. निविदादाता का टर्नओवर विगत तीन वर्षों में कम-से-कम 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। इससे संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र तथा विगत तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेंस सीट देना अनिवार्य है।
- III. बिहार राज्य अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में सरकारी / अर्धसरकारी विभाग में कम-से-कम 10 लाख रुपये का पत्रिका/पुस्तक आपूर्ति का अनुभव हो। (आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

3. अन्य शर्तें:-

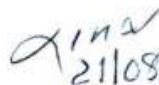
- I. पत्रिका की कम-से-कम 1000 (एक हजार) प्रतियाँ प्रति माह मुद्रित होगी। आवश्यकतानुसार पत्रिका की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगा।
- II. पत्रिका का आकार - 26.5 cm x 20cm होगा जिसमें पृष्ठों की संख्या लगभग 60 होगी तथा सभी पृष्ठ मल्टीकलर होंगे।
- III. पत्रिका की पृष्ठों की संख्या में कमी या वृद्धि सभा सचिवालय द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

- IV. टेक्स्ट भाग में न्यूनतम 130 GSM कागज एवं कवर में न्यूनतम 150 GSM कागज का उपयोग करना होगा।
 - V. पत्रिका के कवर एवं टेक्स्ट भाग में प्रयुक्त होने वाले कागज का नमूना (उत्पादक कंपनी के नाम तथा विशिष्टियों के साथ) देना अनिवार्य है।
 - VI. सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराये गए डिजाइन के अनुरूप अंतिम रूप से अनुमोदित प्रति प्राप्ति की तिथि से 06 (छः) दिनों के अन्दर अचूक रूप में मुद्रित कर सभा सचिवालय में सॉफ्ट कॉपी (e-copy) के साथ सुलभ कराना अनिवार्य है। पत्रिका के उत्तम मुद्रण का उत्तरदायित्व मुद्रक का होगा।
 - VII. पत्रिका के मुद्रण / प्रकाशन से संबंधित सभी कार्य को सभा सचिवालय के पत्रिका प्रकाशन शाखा की देख-रेख एवं मार्गदर्शन में निर्धारित समय में किया जायेगा।
 - VIII. तकनीकी निविदा में सफल मुद्रक ही वित्तीय निविदा में स्थान पा सकेंगे।
 - IX. मुद्रक के पास योग्य, प्रुफ रीडर एवं प्रशिक्षित डिजायनर होना चाहिए। इनसे संबंधित विवरण साक्ष्य सहित संलग्न करना अनिवार्य है।
 - X. फर्म / एजेंसी के पास पत्रिका डिजाइन से संबंधित सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरल इत्यादि का लाइसेंस होना चाहिए।
 - XI. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप पत्रिका का मुद्रण नहीं होने तथा समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा।
 - XII. सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित होने चाहिये तथा इंडेक्स संलग्न करना आवश्यक है।
 - XIII. कायदेशि निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निविदा प्रभावी रहेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विशेष परिस्थिति में किसी नियत अवधि के लिए अथवा अल्प अवधि के लिए इसे पूर्व निर्धारित दर पर चयनित एजेंसी एवं सभा सचिवालय की सहमति से विस्तारित किया जा सकता है।
 - XIV. उक्त सभी मुद्रित सामग्रियों का इन्टैलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट एवं कॉपी राइट सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।
 - XV. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत / रद्द / परिवर्तित करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।
4. निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में रुपये 50,000/- (रु० पचास हजार) मात्र की राशि जमा करनी होगी जो बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी के रूप में दी जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट 'सचिव, बिहार विधान सभा के नाम से Payable at Patna के रूप में दिया जा सकता है। यदि अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. 'सचिव, बिहार विधान सभा' के नाम से वाणिज्यिक Scheduled Bank से निर्गत होना आवश्यक है।
 5. सफल निविदादाता को छोड़कर बाकी अन्य सभी निविदादाताओं को अग्रधन राशि कायदेशि निर्गत होने के उपरांत वापस कर दी जायेगी।
 6. कार्य आवंटन के पूर्व संबंधित एजेंसी को अनुबंध पत्र के साथ निविदा की राशि का 5% Performace Security के रूप में BG एकरारनामा के साथ जमा करना होगा। बैंक गारंटी की वैधता कम-से-कम 01 वर्ष 02 माह होनी चाहिए, जो सफलतापूर्वक कार्य संपादन के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
 7. सफल निविदादाता को अग्रधन की राशि अनुबंध के साथ की राशि Performace Security की राशि समर्पित करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
 8. स्वीकृत निविदादाता को समस्त कार्य सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशानुसार ही करना होगा। किसी प्रकार के छोटे-मोटे बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
 9. मानक के अनुरूप कागज की गुणवत्ता नहीं रहने की स्थिति में भुगतेय राशि से नियमानुसार कटौती की जाएगी।
 10. पत्रिका की आपूर्ति करने के पश्चात् गुणवत्ता का मिलान करने के बाद बिल का भुगतान किया जाएगा।

11. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. निविदादाता प्रेस को किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम, निकाय, समिति द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी भी तरह के केस-मुकदमे में लिप्त / लंबित न होने से संबंधित नोटरीज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) देना होगा। घोषणा का शपथ पत्र:-
 "मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....
 सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-
 (क) मेरे / हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी /अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा डीबार (Debar) ब्लैकलिस्टेड (Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर रिसाइन्ड (Rescind) नहीं किया गया है।
 (ग) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।
 उपर्युक्त कंडिका 'क' एवं 'ख' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'ग' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार, मेरे/ हमारे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे/हमारे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।"
13. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
14. किसी भी समय बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित होगा।
15. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
16. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी एक भी शर्त / उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में उक्त निविदा को रद्द करते हुए निविदादाता के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

वित्तीय निविदा की शर्तें

वित्तीय निविदा में पत्रिका के लिए कवर एवं टेक्स्ट पेज के लिए सभी कर (कर का दर जो प्रभावी होगा) एवं खर्च सहित अनुलग्नक-1 में विहित प्रपत्र में अंकित करना होगा।


 21/09/2026
 उप सचिव
 (राम कुमार यादव)
 बिहार विधान सभा, पटना।

वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र

क्रमांक	पत्रिका का नाम पृष्ठ सहित	दर प्रति पृष्ठ*	कुल लागत* (एक वर्ष के लिए)
1	विधान प्रबोधनी (हिन्दी)	60 पृष्ठ लगभग (कवर सहित)	

* कर रहित

एजेन्सी का हस्ताक्षर मुहर सहित